

30-08-2014

आरोपी टडेरा उर्फ सुंदर व मुलायम सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री एम. पी.शरणागत द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत प्रकरण आज दिनांक को निरंतर मासिक लोक अदालत में सुनवाई पर लिये जाने बाबत पेश किया गया। आवेदन पत्र पर सुना गया। बाद विचार आवेदन में दर्शित कारण उचित प्रतीत होने से आवेदन स्वीकार कर प्रकरण आज निरंतर मासिक लोक अदालत में सुनवाई पर लिया गया।

प्रकरण निरंतर लोक अदालत में राजीनामा हेतु नियत हैं।

इसी स्तर पर उभयपक्ष के द्वारा एक राजीनामा आवेदन अंतर्गत धारा-320(2) दं.प्र.सं. का हस्ताक्षरित कर पेश कर व्यक्त किया गया है। प्रति ए.डी.पी.ओ. को प्रदान की गई।

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ.।

आरोपी टडेरा उर्फ सुंदर व मुलायम सिंह उपजेल बैहर में निरुद्ध है कि ओर से अधिवक्ता श्री एम.पी.शरणागत उपस्थित।

उभयपक्ष ने अपने आवेदन पत्र में व्यक्त किया गया है कि आरोपीगण के साथ पूर्व में ही आपसी समझौता हो गया है तथा उभयपक्ष एक ही गांव के निवासी है। आरोपीगण के साथ बिना डर, दबाव, लालच के स्वैच्छापूर्वक राजीनामा करना एवं उनके मध्य सुबंध भविष्य में भी मधुर बने रहे इसलिए फरियादी/आहत टीकराम एवं बुद्धनसिंह को आरोपी टडेरा उर्फ सुंदर व मुलायम सिंह से राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जावे।

फरियादी/आहत टीकराम एवं बुद्धनसिंह स्वतः उपस्थित। उसकी पहचान श्री एम.पी.शरणागत अधिवक्ता द्वारा की गई। पहचान में संदेह नहीं है। प्रार्थी/आहतगण से पूछे जाने पर उन्होंने स्वैच्छया पूर्वक राजीनामा किया जाना व्यक्त किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आरोपीगण के विरुद्ध धारा-294, 323/34 दो काउंट, 506 भाग-दो भादंवि के दण्डनीय अपराध में आरक्षी केन्द्र बैहर द्वारा अभियोग पत्र पेश किया गया है। आरोपीगण द्वारा कारित अपराध अंतर्गत धारा-294, 323/34 दो काउंट, 506 भाग दो भादंवि का अपराध न्यायालय की अनुमति से शमनीय व राजीनामा योग्य है। फलतः फरियादी/आहतगण टीकराम एवं बुद्धनसिंह को आरोपीगण टडेरा उर्फ सुंदर व मुलायम सिंह से धारा-294, 323/34 दो काउंट, 506 भा.दं.वि. में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसी स्तर पर फरियादी/आहत टीकराम एवं बुद्धनसिंह द्वारा एक आवेदन अंतर्गत धारा-320 दंड प्रक्रिया संहिता का इस आषय से पेश किया गया कि उसके आरोपीगण से अब संबंध मधुर हो चुके हैं तथा आरोपीगण उसके गांव के होकर सगे रिश्तेदार हैं। उसने आरोपीगण से बिना डर, दबाव, लालच के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा कर लिया है। उभयपक्ष के संबंध भविष्य में भी मधुर बने रहे इसलिए फरियादी/आहत टीकराम एवं बुद्धनसिंह को आरोपीगण से राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में उभयपक्ष राजीनामा करने में सक्षम हैं। राजीनामा करने में कोई विधिक रुकावट नहीं है। प्रस्तुत राजीनामा आवेदन विधि विरुद्ध न होने से स्वीकार किया जाता है। फलतः आरोपीगण टडेरा उर्फ सुंदर व मुलायम सिंह को धारा-294, 323/34 भाग दो, 506 भाग-दो भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण का रिहाई आदेश जारी किया जावे।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक बांस की लकड़ी है जो मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अविलम्ब अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर